<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी **संदीप कुमार शर्मा,** आर.जे.एस
जिला न्यायाधीश संवर्ग

आप- विविध जमानत प्रकरण संः 111/2026

विशाल मोमतिया उर्फ विशाल नामा उर्फ विश्शु पुत्र महेन्द्र कुमार, उम्र 23 वर्ष, निवासी रामचन्द्रपुरा, छावनी सब्जीमण्डी के पास कोटा, थाना गुमानपुरा कोटा शहर (राज.)

-प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

(प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकः 01/2025 पुलिस थाना साईबर क्राईम, बूंदी अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008)

<u>भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अधीन आवेदन</u>

उपस्थितः-

1. श्री राजकुमार दाधीच, प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता,
2. श्री भूपेन्द्र सहाय सक्सेना, विद्वान लोक अभियोजक-राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> दिनांक 10.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त विशाल मोमतिया उर्फ विशाल नामा उर्फ विश्शु की ओर से उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराधों में यह जमानत आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो पुलिस थाना साईबर क्राईम, बूंदी के अभियोग संख्या 01/2025 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बून्दी के न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 402/2026 राजस्थान राज्य बनाम विशाल मोमतिया उर्फ विशाल नामा अंतर्गत धारा 318(4), 319(2), 61(2)

Authenticated Document

भारतीय न्याय संहिता एवं 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 से सम्बद्ध है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है और उसका जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बूंदी (राज.) द्वारा दिनांक 07.01.2026 को खारिज कर दिया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त एवं विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया एवं पत्रावली तथा संबंध केस डायरी का अवलोकन किया गया।

4. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रमुखता से यह तर्क दिया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का इस घटना से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस प्रकरण के सह-अभियुक्त शुभम नायक को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2025 को जमानत पर स्वतंत्र किया जा चुका है, प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उससे भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी अथवा अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.12.2025 से अभिरक्षा में है तथा अभी इस प्रकरण की अन्वीक्षा संपन्न होने में काफी समय लगने की संभावना है, तब तक प्रार्थी/अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर स्वतंत्र किया जावे। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. क्रिमिनल मिसलिनियस जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 9360/2023 खेत सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांकित 10.08.2023 की प्रति भी प्रस्तुत की गयी है।

Authenticated Document

5. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का प्रबल विरोध करते हुये यह व्यक्त किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी विनोद कुमार से षड़यंत्रपूर्वक धोखा-धड़ी कर छल-कपट एवं साईबर फ्रोड के माध्यम से परिवादी की फर्म आरूष कन्सट्रक्शन एण्ड मेटेरियल सप्लायर्स के नाम दो खाते खुलवाकर लगभग 2,44,00,000/- रूपये का लेन-देन कर बैंक खातों का दुरूपयोग कर लोगों से साईबर फ्रोड करते हुये ऑनलाईन ठगी का कार्य किए जाने के आरोप हैं, जो धारा 318(4), 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 66डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के अधीन दण्डनीय अपराध है, जो समाज के विरुद्ध किये जाने वाले गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है। आजकल समाज में इस तरह के साईबर अपराधों की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों में असुरक्षा एवं भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है तथा युवा वर्ग इस तरह के अपराध की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। यदि ऐसे मामलों में सख्ती नहीं बरती गई तो इससे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी/अभियुक्त की पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि भी रही है। प्रार्थी/अभियुक्त एक शातिर साईबर अपराधी रहा है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदत्त नहीं की जानी चाहिये।

6. उभय पक्ष के तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया है तथा पत्रावली एवं संबद्ध केस डायरी तथा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत आदेश दिनांकित 10.08.2023 का भी सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

7. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 01.02.2025 को फरियादी विनोद कुमार ने पुलिस थाना साईबर क्राईम, बूंदी पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि वह

Authenticated Document

हाइवे पर सेफ्टी बेरियर के कार्य ठेके पर लेकर ठेकेदारी का कार्य करता है। यह कार्य वह पिछले 2-3 साल से कर रहा है। उसकी मुलाकात जुलाई, 2024 के महीने में पारस वैष्णव से इन्द्रा मार्केट कोटा रोड पर हुई। पारस वैष्णव ने उसे उसके मोबाईल नंबर 9636849444 पर शुभम नायक से उसके मोबाईल नंबर 8619781469 व 8003939822 पर उसकी बात करवाई और शुभम ने मिलने के लिए कोटा बुलाया और उससे कहा कि आप दो करन्ट एकाउन्ट आपकी फर्म के नाम से अलग-अलग बैंकों में खुलवाओ और यह बैंक अकाउन्ट खुलवा कर उसे उपलब्ध करवाओ, क्योंकि उनकी कम्पनी का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का कार्य है जिसका पैसा ऑनलाईन एकाउन्ट में आता है। इस लेन-देन की वजह से उसकी फर्म आरूष कन्ट्रक्शन एण्ड मेटेरियल सप्लायर्स का सिबिल स्कोर अच्छा बढ़ जाएगा व टर्न ओवर भी बढ़ जाएगा, जिससे आपको भविष्य में बैंकों से अधिक लोन मिल जायेगा और फर्म को और बड़े काम मिल जायेगें। वे इसके बदले उसको कुछ रूपये भी कमीशन के तौर पर देंगे तथा इससे संबंधित जी.एस.टी. और इनकम टैक्स का भुगतान भी उनकी तरफ से किया जाएगा। इसी दिन शुभम नायक ने उसके फोन से विशाल नामा से बात करवाई, विशाल नामा व शुभम नायक दोनों ने उससे कहा कि आप अपनी फर्म के नाम से दो करन्ट एकाउन्ट खुलवा कर दे दो। इन दोनों बैंक खातों में सारा लेन-देन एक नंबर का ही होगा, किसी तरह का फ्रॉड या साइबर ठगी का पैसा नहीं आयेगा यह उनकी गारंटी है। इस पर उसने दोनों की बातों पर विश्वास करते हुए उसकी फर्म के नाम से पहले से खुला हुआ बन्धन बैंक शाखा, बून्दी का अकाउन्ट नम्बर 20100032159928 व इनके कहने पर एक कैनरा बैंक शाखा, बून्दी का खाता संख्या 120031702493 को नया खुलवाकर शुभम नायक को मय चैक बुक मय सीम कार्ड व मय ए.टी.एम. के कुल दो खाता किट शुभम नायक

Authenticated Document

को दे दी, जो शुभम नायक ने बाद में विशाल नामा को उसके सामने ही दे दी। इस दौरान बीच में उसने शुभम नायक से उसके खातों का बैंक स्टेटमेंट भी मांगा था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं दिया और गुमराह करते रहे कि आपके खातों में लेन-देन एक नंबर का ही किया जा रहा है, कोई गलत काम नहीं किया जा रहा है। थोड़े दिन बाद बैंक वालों ने उसे फोन कर बताया कि तुम्हारे बंधन बैंक के खाते में इन दिनों काफी रूपयों का लेन-देन हो रहा है तथा तुम्हारे खाते पर साइबर फ्रॉड की कई शिकायतें दर्ज हैं। बाद में उसे पता चला कि इन लोगों ने उसकी फर्म के नाम के खातों में दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 18.01.2025 के बीच में ही लगभग 2,44,00,000/- रूपये का लेन-देन कर लिया। इस पर उसने शुभम नायक व विशाल नामा उर्फ विश्शू से संपर्क कर पूछा तो इन दोनों ने कहा कि कोई बात नहीं है, अभी हम बाहर हैं, आकर तेरे से मिलते हैं, हम सब देख लेगें। इस पर उसे इन लोगों पर शक हुआ कि कहीं ये लोग उसके खातों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में तो नहीं कर रहे हैं, पूछने पर ये लोग कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार इन दोनों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके उक्त दोनों बैंक खातों का दुरूपयोग कर लोगों के साइबर फ्रॉड कर ऑनलाईन ठगी का कार्य किया है। इस आशय की रिपोर्ट के आधार पर उक्त अभियोग अंतर्गत धारा 318(4), 319(2) भारतीय न्याय संहिता व 66 डी सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। आवश्यक संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अब इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध विचारण न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

8. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री के अनुसार पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 318(4), 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 66डी सूचना

Authenticated Document

प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत आरोप प्रमाणित पाये गये हैं, जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा आपराधिक षड़यंत्र के अनुक्रम में फरियादी के साथ बेईमानीपूर्वक छल करते हुये कम्प्यूटर या अन्य साईबर संसाधनों का इस्तेमाल करके परिवादी की फर्म आरूष कन्सट्रक्शन एण्ड मेटेरियल सप्लायर्स के नाम दो खाते खुलवाकर लगभग 2,44,00,000/-रूपये का लेन-देन कर बैंक खातों का दुरूपयोग करते हुये लोगों से साईबर फ्रोड कर ऑनलाईन ठगी करने के गंभीर प्रकृति के अपराध के आरोप हैं। आजकल समाज में इस तरह के साईबर अपराधों की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जहां एक ओर समाज के आम लोगों को अपनी जमापूंजी को सुरक्षित रखने में भी भय उत्पन्न हो रहा है, वहीं दूसरी ओर युवा वर्ग इस तरह के अपराध की ओर आकृष्ट होता जा रहा है, जिससे समाज में आर्थिक अपराधों की अभिवृद्धि देखी जा रही है। प्रार्थी/अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि भी रही है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

<u>प्रार्थी अभियुक्त विशाल मोमतिया उर्फ विशाल नामा उर्फ विश्शुः-</u>

क्र.सं	मुकदमा नंबर	धारा	पुलिस थाना	चार्जशीट नंबर	विवरण
01	158/2021	307,324,34 भा.दं.सं. व 4/25 आर्म्स एक्ट	गुमानपुरा, कोटा	102/18.05.2021	विचाराधीन

9. जहां तक सह-अभियुक्त शुभम नायक को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर स्वतंत्र कर दिये जाने एवं प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उससे भिन्न नहीं होने का प्रश्न है तो यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त की पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, जिसके विरुद्ध हत्या के प्रयत्न का एक गंभीर प्रकरण विचाराधीन है। जबकि सह-अभियुक्त शुभम नायक की कोई पूर्व आपरधिक पृष्ठभूमि होना अभिलेख पर नहीं दर्शाया गया है तथा प्रार्थी /अभियुक्त का मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा

Authenticated Document

जमानत पर स्वतंत्र किये गये सह-अभियुक्त शुभम नायक से भिन्न है, इस कारण प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त जमानत आदेश दिनांकित 10.08.2023 से उसे कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। ऐसी स्थिति में मामले की गंभीरता, प्रार्थी/अभियुक्त के कृत्य, आचरण, समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों, समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा उसकी पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुये इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर बिना कोई मत व्यक्त किये, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदत्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. फलतः प्रार्थी/अभियुक्त विशाल मोमतिया उर्फ विशाल नामा उर्फ विश्शु की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्नुसार अस्वीकृत कर खारिज किया जाता है।

(संदीप कुमार शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

10. आदेश आज दिनांक 10 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सेशन न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

MAYANK SHARMA
" Authenticate Doc."
Digitally signed by MAYANK SHARMA
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.03.10 16:45:13 +0530

Authenticated Document